



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक / राशिके / NTSE-NMMS / 2008-2012 / 2395

भोपाल दिनांक 18-8-15

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2015-2016 का विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका भेजने बावत्।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2015-2016 दिनांक 08.11.2015 को आयोजित की जाना है। परीक्षा की संपूर्ण कार्यवाही से संबंधित को अवगत कराने हेतु इस पत्र के साथ विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका संलग्न है। अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय, हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल संस्थाओं में विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका प्रसारित करें।

संलग्न:- 1. NTSE-2015-16 विज्ञापन की छायाप्रति

2. NTSE-2015-16 नियम पुस्तिका

कुल पृष्ठ- 09

S. Dahima
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

भोपाल दिनांक 18-8-15

पृ0क0 / राशिके / NTSE-NMMS / 2008-2012 / 2396
प्रतिलिपि -

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, आयुक्त आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल।
3. कलेक्टर, समस्त जिले।
4. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (म.प्र.)
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/उपायुक्त, आदिवासी विकास, समस्त संभाग म.प्र.।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिले, म.प्र.।
7. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले (म.प्र.)।
8. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

S. Dahima
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक/राशिके/NTSE-NMMS/2015-2016 /2377

भोपाल, दिनांक 17-8-15

विज्ञापन

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2015-2016

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2015-16 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963 से प्रारम्भ हुई है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना है एवं उन्हें सहायता प्रदान करना है। NCERT नई दिल्ली, यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आयोजित कर रहा है।

म.प्र. राज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2015-16 दिनांक 8 नवम्बर 2015 को जिला स्तरीय केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 8 मई 2016 के लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या को अनुमोदित करती है वर्ष 2015-16 में म.प्र. राज्य हेतु निर्धारित संख्या 258 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

1. पात्रता - म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। मान्यता प्राप्त दूरस्थ मुक्त शिक्षा में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2015 को 18 वर्ष से कम उम्र के हो कही कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहें हो, भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

2. छात्रवृत्ति - NCERT नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है-

1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/- प्रतिमाह
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के लिए 2000/- प्रतिमाह
3. Ph.D. के लिए UGC नार्मस के अनुरूप

3. आरक्षण - आरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन के नियम एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे, अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र हार्डकापी के साथ संलग्न कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। विकलांग विद्यार्थियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा।

4. परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	19.08.2015
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	10.09.2015
परीक्षा दिनांक व दिन	08.11.2015 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. परीक्षा का विवरण:-

क्र	परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हताकारी अंक	
					सामान्य वर्ग 40%	अ.जा./अ.जजा./विकलांग वर्ग 35%
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	18 अंक
2	भाषा बोध परीक्षण (LT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	18 अंक
3	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	100	100	40 अंक	35 अंक

नोट - परीक्षा का समय प्रातः 11 से 2.30 बजे तक रहेगा। प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

☉

S. Dahim

①

- 5.1 मानसिक योग्यता परीक्षा – इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों में समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- 5.2 भाषा बोध परीक्षण – इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी की होगी। छात्र इनमें अपनी रुचि के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। यह क्वालीफाइंग परीक्षा है, इसके अंक प्रावीण्य सूची के निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे।
- 5.3 शैक्षिक योग्यता परीक्षण – इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र –13, रसायन शास्त्र –13, जीव विज्ञान –14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास –15, भूगोल –15, राजनीति शास्त्र –5, अर्थशास्त्र – 5) तथा गणित विषय – 20 प्रश्न होंगे।
- 5.4 पाठ्यक्रम – राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर म.प्र. राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समान होगा।
6. आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति
- 6.1. इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10.9.2015 है।
- 6.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर दिनांक 19.08.2015 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा अथवा <http://www.educationportal.mp.gov.in> से भी डाउन लोड किये जा सकते हैं।
- 6.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।
- 6.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र के पास जाकर ऑनलाइन एंटी करवायेगा।
- 6.5 आवेदन की ऑनलाइन एंटी के बाद दो प्रतियों में प्राप्त रसीद में से एक प्रति आवेदक स्वयं अपने पास रखेगा एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाईट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन-पत्र सूचीबद्ध करेंगे। डाईट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।
- 6.6 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह 2015 के तीसरे सप्ताह से एमपीऑनलाइन के लिंक <https://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।
7. परीक्षा का माध्यम – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
8. परीक्षा शुल्क – इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
9. महत्वपूर्ण निर्देश :-
- 9.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।
- 9.2 सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है।
- 9.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
- 9.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।
- 9.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरान्त पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
- 9.6 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है।
10. पुनर्मूल्यांकन – इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
11. यात्रा भत्ता – परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने –जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

S. Dakshin

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र,
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2015-2016 (NTSE)
(कक्षा- 10 वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)
परीक्षा नियम पुस्तिका

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2015-16 दिनांक 08 नवम्बर 2015 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 8 मई 2016 के लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या को अनुमोदित करती है। वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश राज्य हेतु निर्धारित संख्या 258 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

1. **पात्रता**— म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।
2. **छात्रवृत्ति**— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है—
 1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/- प्रतिमाह
 2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के लिए 2000/- प्रतिमाह
 3. Ph.D. के लिए UGC नार्मस के अनुरूप
3. **आरक्षण**— प्रथम चयन परीक्षा हेतु म.प्र. राज्य के नियमानुसार अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 20 प्रतिशत एवं विकलांग विद्यार्थियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित तीनों वर्ग के 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता के अभ्यर्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे।

4. परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां—

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	19.08.2015
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	10.9.2015
परीक्षा दिनांक व दिन	08.11.2015 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. परीक्षा विवरण :-

क्र	परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हताकारी अंक	
					सामान्य वर्ग 40%	अ.जा./अ.जजा./विकलांग वर्ग 35%
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	18 अंक
2	भाषा बोध परीक्षण (LT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	18 अंक
3	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	100	100	40 अंक	35 अंक

नोट — परीक्षा का समय प्रातः 11 से 2.30 बजे तक रहेगा। प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

- 5.1 मानसिक योग्यता परीक्षा — इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों में समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- 5.2 भाषा बोध परीक्षण— इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी की होगी। छात्र इनमें अपनी रुचि के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। यह मात्र क्वालीफाइंग परीक्षा है। इसके अंक प्रावीण्य सूची के निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे।
- 5.3 शैक्षिक योग्यता परीक्षण— इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र— 13, रसायन शास्त्र— 13, जीव विज्ञान— 14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास— 15, भूगोल— 15, राजनीति शास्त्र— 5, अर्थशास्त्र— 5) तथा गणित विषय— 20 प्रश्न होंगे।
- 6 **पाठ्यक्रम**— राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर मध्यप्रदेश राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की परीक्षा के समान होगा।

(3)

7 समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रश्नपत्र	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
08.11.2015 (रविवार)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45 से 10:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:55 बजे	प्रातः 10:55 से 11:00 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11 से 11.45 तक (कुल 45 मिनट)
		भाषा बोध परीक्षण (LT)	प्रातः 11:45 बजे से	प्रातः 11:45 बजे से	प्रातः 11:45 से 11:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:55 बजे	प्रातः 11:55 बजे 12:00 से तक (कुल 5 मिनट)	दोपहर 12.00 से 12.45 तक (कुल 45 मिनट)
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 12.45 बजे से	दोपहर 12.45 बजे से	दोपहर 12.45 बजे से 12.55 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12.55 बजे	दोपहर 12.55 से 1.00 तक (05 मिनट)	दोपहर 1.00 से 2.30 बजे तक (कुल 1.30 घंटा)

8. आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति—

8.1 इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि

10.09.2015 है।

- 8.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर दि. 19.08.2015 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा अथवा <http://www.educationportal.mp.gov.in> से भी डाउन लोड किये जा सकते हैं।
- 8.3 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।
- 8.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र में ले जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।
- 8.5 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में प्राप्त रसीद में से एक प्रति आवेदक स्वयं अपने पास रखें एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाईट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी कार्यालय)को आवेदन-पत्र सूचीबद्ध करके भेजेंगे। डाईट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को भेजे जावेंगे।
- 8.6 ऑन लाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे।
- 8.7 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 8.8 ऑन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से. मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये।
- 8.9 पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- 8.10 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।
- 8.11 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।
- 8.12 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।
- 8.13 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं।
- 8.14 अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने हैं।
- 8.15 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
- 8.16 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।
- 8.17 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह से एमपीऑनलाइन के लिंक <http://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।

9. परीक्षा का माध्यम— परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

10. परीक्षा शुल्क— इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

11. पुनर्मूल्यांकन— इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।



(4)

12. यात्रा भत्ता— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने –जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. महत्वपूर्ण निर्देश—
- 13.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।
- 13.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- 13.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- 13.4 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- 13.5 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :- प्रवेश-पत्र, केवल काला /नीला बॉलप्वाइंट पेन जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।
- 13.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होंगे जिनमें से एक सही होगा।
- 13.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।
- 13.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन-पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।
- 13.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

14. परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षा मध्यप्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।

15. अनुचित साधन :-

अनुचित साधन :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :-

- 15.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- 15.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- 15.3 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- 15.4 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- 15.5 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार सेनकल करना।
- 15.6 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका की अदला-बदली करना।
- 15.7 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, इनमें से कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- 15.8 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- 15.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 15.10 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 15.11 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

④

sh

5

16. मूल्यांकन पद्धति :- वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

17. लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र. /एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणीकरण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(17.1) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

17.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

17.1.2 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

17.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।

17.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

(17.2) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट

2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट

1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

(17.3) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

17.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

17.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

(17.4) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

17.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

17.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

नोट:- किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर निराकरण हेतु दूरभाष नंबर 0755-4019400 एवं मोबाइल 7049923881 पर संपर्क करें।


आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल





6

Application Form
National Talent Search Examination, 2015-16
For the Students Studying in Class X)

Read the instruction carefully given on the next page before filling the application form.
You may take the help from your teacher/parent for filling up the application form.

- Date of Examination:
- Name & address of the agency for conducting NMMS Examination:
- Name of the State/UT
(where the candidate is studying in class VIII as a regular student): Meghalaya
- Name of the examination centre
(where candidate wishes to appear in exam):
- Application fee, if any(write NIL if there is no fee):

Space for the
Photograph (Passport
size and Black & white)

The Photograph
should be endorsed by
the Head of the

Amount	DD Number	Date of DD	Name of Bank	Application No, if any
-	-	-	-	-

State Level 11 digit Roll Number

State Code	Year	Centre Code	Serial No.(Office to fill)	Class	Date of birth		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1 6			10	Date	Month	year

1. Name of the candidate (Do not write Miss/Master)
2. Father's name (Do not write Mr./Dr./Prof)
3. Mother's Name (Do not write Mr./Dr./Prof)
4. Sex 1 Male 2 Female
5. Area to which candidates resides 1 Rural 2 Urban
6. Caste category of candidate 1 General 2 SC 3 ST
7. Disability status of candidate 1 Orthopaedic 2 Hearing 3 Visually impaired 4 None

(Please enclose a copy of the relevant certificate in support of information at Sr.No.6 &7)

8. Postal address for correspondence(Do not write father's or your name)

 Pin Code
9. Name and address of the institution in which studying at Class VIII level

 Pin Code
10. Type of the institution in which studying at Class X(see definition overleaf*) 1 Govt 2 Local Body 3 Private aided 4 Private Unaided
11. Area in which the school is located 1 Rural 2 Urban
12. Medium of examination (a) at the state Level (b) at the NCERT Level
13. Father's education
14. Father's Occupation
15. Mother's education
16. Mother's Occupation
17. No. of family members living in the house
18. No. of brothers
19. No. of sisters
20. At what no. is the candidate among his/her brothers and sisters
21. Parental annual income (Please enclose certificate failing which the application will be rejected)
 1 Upto 50,000 2 50,000 to 1,00,000 3 1,00,001 to 2,00,000 4 2,00,001 to 5,00,000 5 More than 5,00,000
22. Telephone
* STD Code Phone
23. E-mail address
24. Mobile

(Do not leave this column blank)

To be filled by the Head of the Institution/Gazetted Officer

Certified that:

(1) Master/Miss..... is a regular student of this School/Institution and he/she has secured % marks in the class IX annual examination, i. e., when he/she was promoted from class IX to Class X. He/She has secured marks out of

(2) The particulars given by him/her in the application form have been verified and found in order.

(3) Master/Miss belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category as per the records maintained in the Institution.(to be filled for SC/ST candidates only)

Date _____ Signature of the Headmaster/ Headmistress/Gazetted Officer
With seal

Signature of the candidate _____ (See Instructions Overleaf)

Coding Plan

Read instruction carefully before filling up the Application Form.

1. Use only Blue or Black Ball Point pen. WRITE IN CAPITAL LETTERS. Do not mark or write outside the boxes.
2. Leave one box blank between two words. Limit your name and/or address within the space provided for it. Please see example as given below.
3. Cross(x) only one of the appropriate boxes in items nos. 4,5,6,7,10,11 and 21.
4. Please write code number in items nos 12, 13,14, 15 and 16 as given overleaf.
5. It is the responsibility of the candidate and the principal of the school to deposit the filled in form with the state concerned Officer before the last date. No request for condoning delay in submission will be entertained whether it is due to the fault of the Candidate or the Headmaster/Principal of his/her institution.
6. Incomplete or defensive applications are liable to be rejected.

Example for writing Name and Address.

Father's Name

O		P		G	U	P	T	A	
---	--	---	--	---	---	---	---	---	--

Postal Address: do not try to write complete address in one line. Break it appropriately as shown below:

I	4	5	/	6		M	O	U	N	T		R	O	A	D
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

C	H	E	N	N	A	I		PIN					
---	---	---	---	---	---	---	--	-----	--	--	--	--	--

Medium of Examination (Refer to item 12)		Education of Father or Mother (Refer to item Nos 13 & 15)	
Medium of Examination	Code	Education	Code
Assamese	11	No Formal Education	1
Bangla	12	Up to primary	2
English	13	Upper primary	3
Gujarati	14	Secondary	4
Hindi	15	Senior secondary	5
Kannada	16	Graduation	6
Marathi	17	Post graduation	7
Malayalam	18	Doctoral	8
Oriya	19	Professional degree(Engineering, Law,Medicine, MCA, MBA,etc)	9
Punjabi	20		
Tamil	21		
Telugu	22		
Urdu	23		

Father's/ Mother's occupation (refer to item Nos 14 & 16)	
Occupation	Code
Professional	1
Executive and Managerial	2
Clerical	3
Business	4
Agriculture, fishery	5
Production and Transport	6
Operators and labourers	7
Not employed	8

***Type of School/Institutions (refer to item No.10)**

- GOVERNMENT** A Government school is that which is run by the State Government or Public Sector undertaking or an Autonomous Organization completely financed by the Government
- LOCAL BODY** A Local Body School is that which is run by Panchayati Raj and local body institutions such as Zila Parishad, municipal Corporation, Municipal Committee, Notified Area Committee and Cantonment Board
- PRIVATE AIDED** A private aided school is that which is run by an individual or a private organization and receives grant from government or local body.
- PRIVATE UNAIDED** Private Unaided School is that which is managed by an individual or a private organization and does not receive any grant from government or local body.

Region	State/UT	Code	
North East	Arunachal Pradesh	Code	
	Assam	11	
	Manipur	12	
	Meghalaya	14	
	Mizoram	15	
	Nagaland	16	
	Sikkim	17	
	Tripura	18	
	East	A & N island	19
Bihar		20	
Jharkhand		21	
Orissa		22	
West Bengal		23	
North		Chandigarh	24
		Delhi	25
	Jammu & Kashmir	26	
	Haryana	27	
	Himachal Pradesh	28	
	Punjab	29	
	Rajasthan	30	
		31	
	Uttar Pradesh		
	Uttarakhand	32	
West	Chhattisgarh	33	
	Daman & Diu	34	
	D&N Haveli	35	
	Goa	36	
	Gujarat	37	
	Madhya Pradesh	38	
	Maharashtra	39	
	South	Andhra Pradesh	40
		Karnataka	41
		Kerala	42
Lakshadweep		43	
Pondicherry		44	
	Tamil Nadu	45	
	Telangana	46	
Abroad		47	

To be filled in by the Sankul Principal

Certified that:

(1) Master/Miss is a regular student of School/Institution
and he/she has secured % marks in the Class IX annual examination i.e. when he/she was promoted from Class IX to Class X. He/She has secured
..... marks out of

(Candidate must fulfill the criteria announced by State/UT)

(2) The particulars given by him/her in the application form have been verified and found in order.

(3) Master/Miss belongs to Madhya Pradesh Scheduled Caste/Scheduled Tribe category as per the cast certificate. (to be filled for SC/ST candidates only)

(4) Master/Miss belongs to disability status. category And his/her disability % is
40 % and above. (to be filled for PH candidates only)

Orthopedic

Hearing
Impaired

Visually
Impaired

Date

signature of the sankul Principal
With Seal